

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

फोन नं व फैक्स 07762- 222158 ईमेल

actw.raigarh@gmail.com / actd.raigarh@nic.in

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक/1856 /आ.वि./निर्माण/नक-01/DMF/2026-27

रायगढ़, दिनांक 19/6/2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से निम्नलिखित कार्यो के लिए कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा) रायगढ़ के कार्यालय में नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार एकीकृत पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत पंजीकृत 'सी' श्रेणी एवं इसमें उपर श्रेणी के ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन दर अनुसूची जो दिनांक 01.01.2015 एवं संशोधित दिनांक 04.05.2018 तक लागू एवं विद्युतीकरण दर अनुसूची जो दिनांक 01.07.2015 से प्रभावशील है (समस्त संशोधन सहित) एस. ओ.आर. पद्धति के तहत ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क	कार्य का नाम	Bid Submission की अंतिम तिथि	भौतिक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4
1	आदिवासी कन्या आश्रम बड़े डुमरपाली विकास खंड खरसिया भवन निर्माण कार्य। निविदा की राशि रुपये 162.76 लाख-अमानत राशि रुपये 1.25 लाख	30-06-2026	06-07-2026

निविदा की सामान्य शर्तें, व अन्य जानकारी वेबसाईट <https://eproc.cgstate.gov.in> में देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायगढ़

पृ. क्रमांक/1857 /आ.वि./निर्माण/ नक-01/DMF/2026-27 रायगढ़, दिनांक 19/6/2026

प्रतिलिपि:-

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायगढ़


निविदा नियम व शर्तें

Online/offline

- 1- लोक निर्माण विभाग में एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत (Registered in C & above class in new registration system unified registration system (E-Registration)) ठेकेदार सक्षम श्रेणी ही निविदा में भाग ले सकेंगे।
- 2- कार्य पूर्ण अवधि 12 माह (वर्षा ऋतु सहित)।
- 3- ई.एम.डी (EMD) की वैधता अवधि 24 माह या उससे अधिक हो।
- 4- निर्धारित अमानत राशि का टी.डी.आर. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़ के नाम से बनाया जावेगा।
- 5- इंसेटिव बोनस एवं एस्केलेशन मान्य नहीं होगा।
- 6- बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र एन.आई.टी. की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- 7- SOR से 10 प्रतिशत से अधिक कम दर प्राप्त होने पर अंतर की राशि टी.डी.आर. जमा करना अनिवार्य होगा।
- 8- देयक में नियमानुसार कटौती किया जावेगा। (SD, PG, CGST, SGT, उपकर एवं रायल्टी) जो लागू हो।
- 9- सुरक्षा निधि की राशि 5 प्रतिशत प्रत्येक चल देयक से कटौती की जावेगी, जो कि कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के 06 माह अथवा 01 बरसात उपरांत कार्य की स्थिति संतोषप्रद होने पर ही प्रदाय किया जावेगा।
- 10- जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
- 11- कार्यदेश प्राप्त होने के पश्चात श्रम विभाग का लेबर लाईसेंस ठेकेदार को जमा करना आवश्यक होगा एवं कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सभी मजदूरों का जीवन बीमा आवश्यक होगा।
- 12- निविदा राशि का 15 प्रतिशत बैंक साल्वेंसी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 13- विभाग में पूर्व में जमा किए गए एफ.डी.आर./टी.डी.आर. का समायोजन नहीं किया जावेगा।
- 14- कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने की स्थिति में पेनाल्टी नियमानुसार कटौती की जावेगी।
- 15- निविदाकार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की सत्यता हेतु शपथ पत्र रुपये 50/- के स्टाम्प में नोटरी से सत्यापित कराकर (नोटरी टिकट चस्पाकर पंजीयन क्रमांक का उल्लेख हो) ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाए जाने पर उनका कार्यदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
- 16- निविदा प्रपत्र A परिशिष्ट 2.13 की धारा 11 सी (एस्केलेशन) एवं 5.3 (प्रोत्साहन) कंडिका विलोपित रहेगा।
- 17- निविदा दस्तावेज कार्यालय द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा। निविदा ऑनलाईन वेबसाइट <https://eproc.cgstate.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकेगा।
- 18- लिफाफा "A" में (C.G.P.W.D.) का जीवित पंजीयन, शपथ पत्र एवं अमानत राशि का टी.डी.आर. पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन समय तक दिनांक 06.07.2026 तक प्राप्त की जावेगी। उपरोक्त दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज लिफाफा "A" में न भेजे।
- 19- अनिवार्य रूप से ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज- 1.(C.G.P.W.D.) का जीवित पंजीयन, 2. शपथ पत्र रुपये 50/- के स्टाम्प में नोटरी से सत्यापित कराकर (नोटरी टिकट चस्पाकर पंजीयन क्रमांक का उल्लेख हो) 3. अमानत राशि का टी.डी.आर. 4. पेन कार्ड, 5. निविदा दिनांक से विगत 03 वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र, 6. आयकर चुकता प्रमाण-पत्र, 7. जी.एस.टी., 8. बैंक साल्वेंसी प्रमाण-पत्र, 9. यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, 10. उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, (स्नातक/पत्रोपाधि अभियंता नियोजित करने का प्रमाण पत्र) 11. कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीयन एवं 03 माह का चालान, 11- Pre Contract Integrity Pact (Annexure "H" of Appendix-2.10). 12- Declaration of non Black Listed, 13-Turnover Certificate last 3 year) उपरोक्त सभी दस्तावेज की स्पष्ट स्कैण्ड कॉपी ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य है तथा अपलोड किए गए दस्तावेज की प्रति पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से

- कार्यालयीन समय तक दिनांक **06.07.2026** तक लिफाफा "B" में प्राप्त की जावेगी। उपरोक्त दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज लिफाफा "B" में न भेजे।
- 20- लिफाफा "A" दस्तावेज सही पाए जाने के उपरांत ही प्राईज बीड खोला जावेगा।
- 21-निविदा से संबंधित निर्धारित तिथि शासकीय अवकाश घोषित होने पर आगामी तिथि मान्य होगी।
- 22-आर.सी.सी. कार्य में मिक्सचर मशीन एवं बाईब्रेटर का उपयोग अनिवार्य होगा तथा सेंट्रिंग कार्य में लोहे का प्लेट/जेट पाईप/नवीन प्लाई का प्लेट ही मान्य होगा।
- 23-निविदाकार के पास विद्युतीकरण कार्य का प्रमाणित लायसेंस होना चाहिए अथवा किसी भी लायसेंसधारी ठेकेदार के साथ Undertaking या समझौता होना चाहिए (विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रमाणित लायसेंस या लायसेंसधारी ठेकेदार के प्रमाणित लायसेंस एवं Undertaking की प्रति ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा)
- 24-उच्च अधिकारियों के द्वारा कार्य के निरीक्षण में पाई गई कमी/त्रुटिपूर्ण कार्य के पुनः निर्माण पर होने वाला व्यय निविदाकार/अनुबंधकर्ता को वहन करना होगा।
- 25-अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा कि अपरिहार्य/विवाद की स्थिति में निविदा को निरस्त किया जा सकता है एवं उसमें किसी भी प्रकार का दावा अपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।
- 26-उपरोक्त तिथियों में अपरिहार्य कारणों से किए गए परिवर्तन का निर्धारित तिथि में कार्यालय में सूचना जारी किया जावेगा। किसी भी अपरिहार्य स्थिति के लिए कलेक्टर, (आदिवासी विकास) रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.) निर्णय अंतिम होगा।
- 27- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यस्थल का एक फोटोग्राफ्स, निर्माणधीन अवधि के समय का फोटोग्राफ्स एवं कार्य पूर्ण होने पर प्रत्येक कोण से चार फोटोग्राफ्स लिया जाकर कार्य के अंतिम देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 28-कार्य स्थल पर स्थायी सूचना फलक लगाया जाये जिसमें कार्य से संबंधित सम्पूर्ण विवरण, डीएमएफ का लोगो, योजना का नाम, स्वीकृत राशि, कार्य प्रारंभ एवं कार्य पूर्णता दिनांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- 29-प्राक्कलन का अवलोकन कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर किया जा सकता है।
- 30-ई-टेंडरिंग हेतु निर्धारित तिथि में निम्नानुसार होगी:-

Seq. No	Tribal stage	constructor stage	start		Expiry		Remark
			Date	Time	Date	Time	
1	Release tender		19-06-2026	05:00 PM	30-06-2026	06:00PM	Release Tendor
2		Bid Submission	19-06-2026	05:00 PM	30-06-2026	06:00PM	
3	Envelope "A" Submission	Physical submission	18-06-2026	10:00 AM	06-07-2026	5:30PM	
4	Tendor Open	Physical	08-07-2026	11:00AM			
5	Tendor Open	Financial Bid	10-07-2026	11:00AM			

For 
 सहायक आयुक्त,
 आदिवासी विकास रायगढ़